न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2019/00052

अनवान

1. श्रीमती फिल्म कंवर पत्नी स्व. श्री देवी सिंह राजपूत, निवासी–मालपुर, तहसील–झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्री महेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री देवी सिंह राजपूत, निवासी–मालपुर, तहसील–झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. श्री शेर सिंह पिता स्व. श्री देवी सिंह राजपूत, निवासी–मालपुर, तहसील–झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वजे सिंह उर्फ विजय सिंह पिता स्व. श्री केसर सिंह राजपूत, निवासी–मालपुर, तहसील–झाड़ोल, जिला उदयपुर। ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय सोनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 19-04-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम मालपुर, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे साबिक आराजी संख्या 1/1 रकबा 13¼ बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसका वर्तमान आराजी नंबर 119, 126 है। विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 21.11.1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना मौका जांच विधि विरूद्ध कथित भूमि का आवंटन कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्यों का गत सेटलमेन्ट से पूर्व संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने चारों तरफ बाड़/कोट बना रखी है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर हर वर्ष फसल बोते व काटते है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही है। विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि से दूर निवास करते है एवं उनका कथित आराजी से कोई संबध नही है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं पटवारी से मिलीभगत कर उक्त भूमि का आवंटन स्वयं के नाम करवाया गया है। आवंटन हेतु भरे गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.06.16 10:50:40 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र मे कई कॉलम खाली छूटे हुये है। प्रार्थीगण को पूर्व मे भी इसी भूमि मे से 9 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन उपरान्त आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है एवं नियम विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। इस प्रकार कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से होने एवं आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री संजय बोहरा अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 1 को कथित भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। विपक्षी संख्या 1 वक्त आवंटन भूमिहीन की श्रेणी मे आता था। आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा प्रारम्भ से चला आ रहा है एवं आवंटन को करीब 43 वर्ष का समय हो चुका है एवं विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। कथित आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारंभ से थी। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर ट्रेसपासर के रूप मे कभी कब्जा नही रहा है एवं ट्रेसपासर का कब्जा कब्जे की परिभाषा मे नही आता है। आवंटन अधिकारी ने उक्त आवंटन पूर्ण कोरम मे आवंटन कमेटी की राय के आधार पर किया है एवं आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण विपक्षी संख्या 1 की भूमि को हड़पना चाहते है एवं इसी उद्देश्य से उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन पूर्णतया नियमानुसार होने एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल से आवंटन से संबधित मूल पत्रावली संख्या 421/1978 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थीगण के अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, आवेदन पत्र मे कई कॉलम छूटे होना, वक्त आवंटन आवंटी का भूमिहीन न होना, आवंटी का अन्य गांव का निवासी होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की अवहेलना होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना, नियम विरूद्ध खातेदारी अधिकार दिया जाना अवगत कराया एवं श्री शांतिलाल पिता वकता गायरी, रणजीत सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत, रघुनाथ सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत, रोड़सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत सर्व निवासी मालपुर के शपथ पत्र स्वंतत्र गवाहों के रूप मे प्रस्तुत किये एवं इकरारनामे की प्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

बहस मे भाग लेते हुये विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये होना, प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कब्जा लेना देना नही होना, कोरम पूर्ण होना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.06.16 10:50:40 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया एवं कथित आवंटन को यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह भी अनुरोध किया कि वह उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही नही चल सकती है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रा. पत्र मयाद पश्चात् पेश किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 299
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 381
- आर.बी.जे 2019 पृष्ठ 77
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 383(एच.सी.)
- आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ 685
- आर.आर.टी. 2006–07 एस.यू.पी. 382
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 270
- आर.आर.टी 2010(1) पृष्ठ 157

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रकरण राजस्व ग्राम मालपुर, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे स्थित साबिक आराजी संख्या 1/1 रकबा 13¼ बीघा 1 बिस्वा भूमि, जिसका वर्तमान आराजी नंबर 119, 126 है, के आवंटन से संबंधित हैं। उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली संख्या 421/1978 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम मालपुर, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर की साबिक आराजी संख्या 1/1 मे से रकबा 13¼ बीघा 1 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजुद हो अध्यक्ष के रूप मे उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजुद हैं। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुराना राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उन पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.06.16 10:50:40 IST
Reason: SelfAttested

करने मे असफल रहे हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन नही है एवं उसके पास पूर्व से भूमि उपलब्ध है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 मे वर्णित भूमिहीन कृषक की परिभाषा मे विपक्षी न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया गया है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान मे उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के फलस्वरूप ही प्रदान किया जाते है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी भी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना विधिसम्मत नही पाया जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के लगभग 43 वर्ष उपरान्त उक्त प्रा.पत्र पेश किया है व विलम्ब का समुचित कारण भी नही बताया गया है। बिना किसी समुचित आधार के आवंटन को निरस्त करना ''ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस'' होगा। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इकरारनामे की प्रति प्रस्तुत की गई है, किन्तु उक्त इकरारनामा अपंजीकृत है एवं अपंजीकृत इकरारनामे आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा टाईटल तय नही किया जा सकता है। इस न्यायालय को आवंटन मे हुए मिसरिप्रजेन्टेशन को देखना है एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के परिपेक्ष्य मे प्रकरण मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन या कूट रचित दस्तावेजों से होना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता हैं एवं आवंटन नियमानुसार पाया जाता है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं राजस्व ग्राम मालपुर, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे स्थित साबिक आराजी संख्या 1/1 रकबा 13¼ बीघा 1 बिस्वा भूमि, जिसका वर्तमान आराजी नंबर 119, 126 है, पर उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा मिसल संख्या 421/1978 से किये गये कथित आवंटन को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.06.16 10:50:40 IST
Reason: SelfAttested